Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 25/February/2026 IJRAW: 2026; 5(4):104-106 Accepted: 09/April/2026

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास में भारत सरकार की स्टार्टअप योजना का योगदान (मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में)

[*1]दिनेश कुमार दुबे

[*1]सहायक प्राध्ययापक, वाणिज्य विभाग, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

भारत सरकार ने देश भर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं को क्रियान्वति करने की पहल की हैं। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने एवं स्टार्टअप प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास अनवरत जारी है। स्टार्टअप योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख रूप से शामिल की जाने वाली योजना एम.एस.एम.ई. को माना जा सकता है जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 1 लाख रू. से 25 लाख रू. की सहायता राशि मुहैया करायी जाती है, जिसमें परियोजना लागत का 25 प्रतिशत शहरी एवं 15 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आरक्षित की गयी है। नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के इरादे से भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को 'स्टार्टअप इंडिया' पहल की शुरुआत की। विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। पहल के तहत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम समावेशी हैं स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार के निरंतर प्रयासों से 30 जून 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,40,803 हो गई है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 15.5 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित किए हैं। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप उपलब्ध हैं।एम.एस.एम.ई. के तहत स्टार्टअप योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश के 4500 से अधिक संस्थाओं द्वारा पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है। इस योजना के माध्यम से लगभग 1.50 लाख लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं।

मुख्य शब्द: स्टार्टअप इंडिया, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, एम.एस.एम.ई. परियोजना।

प्रस्तावना

एमएसएमई (MSME) के आशय को सामान्य तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्ययम (Micro, Small, and Medium Enterprises) के रूप में जाना जाता है। ये भारत सरकार द्वारा परिभाषित छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय हैं, जो विनिर्माण (manufacturing) या सेवा (services) क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। इन उद्यमों को निवेश और वार्षिक कारोबार (turnover) के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। जैसे- जिन उद्यमों में निवेश 1 करोड़ रू. से कम का हो या कारोबार 5 करोड़ रू. से कम हो ऐसे उद्यम सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में आते हैं। जिन उद्यमों का निवेश 10 करोड़ रू. कम एवं कारोबार 50 करोड़ रू. से कम का होगा ऐसे उद्योग लघु श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी प्रकार जिन उद्यमों का निवेश 50 करोड़ रू. से कम तथा कारोबार 250 करोड़ रू. से कम होगा ऐसे उद्यमों को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने और नये उद्यमों की स्थापना हेतु स्टार्टअप योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इन योजनाओं में प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-

1. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)

19 फरवरी 2019 के जीएसआर अधिसूचना 127 (ई) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता दी जाती है। डीपीआईआईटी ने 30 जून 2024 तक 1,40,803 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कुल संख्या 1,40,803 है जिनमें से मध्यप्रदेश में 4500 स्टार्टअप उपलब्ध हैं।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) -

एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत

*Corresponding Author: दिनेश कुमार दुबे

का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। साथ ही, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 05% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है।

सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है। स्थापना के बाद से यानी वित्त वर्ष 2008-09 से, 9.69 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 25,500 करोड़ रुपये से अधिक की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है, अगले 2 वर्षों के वित्तीय वर्ष (2024-25 से 2025-26) के दौरान, मंत्रालय ने 1.6 लाख नए उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 12.8 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है। सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी का प्रदर्शन निम्न तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका 1

वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपए में) अनुमानित रोजगार सृजन
वित्त वर्ष 19-20	66,653	1,950.82	5,33,224
वित्त वर्ष 20-21	74,415	2,188.80	5,95,320
वित्त वर्ष 21-22	1,03,219	2,977.66	8,25,752
वित्त वर्ष 22-23	85,167	2,722.17	6,81,336
वित्त वर्ष 23-24	89,118	3,093.88	7,12,944

स्रोत: *लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।*

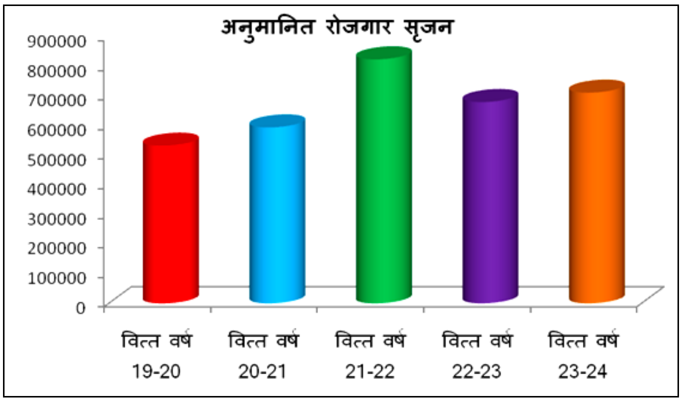

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)

ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) को क्रियान्वित कर रहा है। DAY-NRLM का उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके गरीबी को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए स्थायी और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध होंगे। स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) DAY-NRLM का एक उप घटक है। SVEP का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम के तहत समर्थित 3,02,825 उद्यमों ने लगभग 6,26,848 रोजगार सृजित किए हैं।

4. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

केन्द्र व राज्य सरकार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास" के तहत समर्थित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वर्तमान में देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संचालित स्टार्टअप्स की संख्या का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है।

तालिका 2

क्रम संख्या	राज्य	कुल उद्यम समर्थित (संचयी)
1.	मध्य प्रदेश	27,607(9.11%)
भारत में कुल स्टार्टअप की संख्या		3,02,825

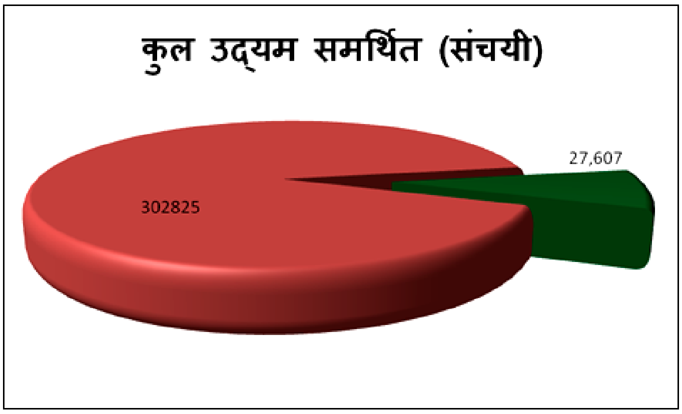

देश के प्रत्येक राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है -

i). **स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान:** स्टार्टअप इंडिया के लिए एक एक्शन प्लान 16 जनवरी 2016 को जारी किया गया। एक्शन प्लान में 19 एक्शन आइटम शामिल हैं, जो "सरलीकरण और सहायता", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक भागीदारी और इनक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। एक्शन प्लान ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित सरकारी सहायता, योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी है।

ii). **स्टार्टअप इंडिया:** आगे का रास्ता- स्टार्टअप इंडिया का शुभारम्भ 16 जनवरी 2021 को किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स व्यापार करने में सरलता को बढ़ावा देने, विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी की अधिक भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और एक डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाने के लिए कार्रवाई योग्य योजनाओं को शामिल किया गया है।

iii). **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS):** इस योजना का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ हुई इस योजना के क्रियान्वयन के तहत 945 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

iv). **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) योजना:** सरकार ने स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ FFS की स्थापना की है। योजना की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के चक्रों में 10,000 करोड़ रुपये की कुल राशि उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न केवल शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास चरण में स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने के मामले में उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाई है।

v). **स्टार्टअप इंडिया हब:** सरकार ने 19 जून 2017 को स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब लॉन्च किया जो उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिए एक-दूसरे को खोजने, कनेक्ट करने और एक-दूसरे के साथ जुड़ने के लिए अपनी तरह का एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। ऑनलाइन हब स्टार्टअप, निवेशक, फंड, मेंटर, शैक्षणिक संस्थान, इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, कॉरपोरेट, सरकारी निकाय और बहुत कुछ होस्ट करता है।

निष्कर्ष

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्टार्टअप योजनाओं में जहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा प्राप्त हुआ है वहीं इन उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसर पर भी सृजित हुए हैं। प्रदेश के आर्थिक रूप से सुद्दढ़ीकरण हेतु औद्योगिक कॉरिडोर और एमएसएमई समर्थित नीतियां अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई अंतर्गत पर्याप्त बजट को प्रावधानित किया जा रहा है किन्तु आवश्यकता है निजी निवेशकों को आकर्षित करने की जिससे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके और राजस्व सृजन को बढ़ाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. आगे आयें लाभ उठायें, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली प्रतिवेदन।
3. एमएसएमई के लिए योजनाएं (2025-26), ई-बुक, नई दिल्ली।
4. https://sambandh.msme.gov.in
5. https://msme.gov.in